



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 ज्येष्ठ 1940 (श०)

(सं० पटना 49०) पटना, सोमवार, 28 मई 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 मई 2018

अधिसूचना संख्या 11/2018-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 184 दिनांक 28 मई 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 04/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-547, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा :—

सारणी

क्र० सं०	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्ता	माल का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

28 मई 2018

एस० ओ० 184, दिनांक 28 मई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-21 / 2017 (खंड-2) 11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 28th May 2018

Notification no. 11/2018-State Tax (Rate)

S.O. 184, Dated 28th May 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No.4/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 547, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Any Chapter	Priority Sector Lending Certificate	Any registered person	Any registered person

2. This notification shall come into force with effect from 28th May, 2018

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2) 11)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. PRATIMA,

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 490-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>